SG
SARVODAYA GROUP
हर कदम आपके संग

सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि.
Sarvodaya Credit Co-operative Society Ltd.

अभिकर्ता बुकलेट

कार्यालय उप - रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, सीकर

राजस्थान-सरकार

सत्यमेव -जयते

पंजियन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सर्व श्री गोवर्धन गिरारवाल (अध्यक्ष) श्री बलदेव सिंह (सचिव) एवं श्री फूल सिंह (कोषाध्यक्ष) आदि द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 4 एवं 5 के अन्तर्गत सर्वोदय क्रेडिट कोपरेटिव सोसायटी लि सहकारी समिति लि. सीकर पोस्ट ऑफिस पलसाना के नाम से एक सहकारी समिति के पंजीयन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर लिया गया है, तथा कथित समिति तथा उसकी उपविधियों का पंजीयन, उक्त अधिनियम की धारा 6 अन्तर्गत कथित आवेदन–पत्र में वर्णित एवं अधिनियम एवं उसके उपर्युक्तानुसार प्रावधानों व उनके अधीन बनाये हुए नियमों के अन्तर्गत क्रमांक 1471 वी पर आज दिनांक 25 पच्चीस माह 7 जुलाई सन् दो हजार 11 ग्यारह को किया जाता है ।

पंजियन प्रमाण–पत्र मेरी मुद्रा और हस्ताक्षर सहित प्रसारित किया जाता है ।

(हस्ताक्षर) 25/7/11

(कृष्णा नंद शर्मा)

सहायक रजिस्ट्रार,

सहकारी समितियाँ, सीकर

निर्देशिका

आदरणीय सदस्यगण, अभिकर्ता गण, कर्मचारी गण

सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. एक सहकारी संस्था है जो कि सदस्यों का एक समूह है इस समूह का मुख्य उद्धेश्य अपने सदस्यों को अपने आर्थिक विकास के लिए उत्साहित करना एवं अपने सदस्यों को आर्थिक रूप से विकसित करने का प्रयास करना है जिसमें सोसायटी लगातार सफल हो रही है। और सफलतम प्रयास कर रही है। सोसायटी का शुभारम्भ 25 जुलाई 2011 को हुआ था 2011 से लेकर आज तक सोसायटी निरंन्तर सदस्यों के हितों में कार्य करते हुए विभिन्न जिलों में अपनी शाखाओं का विस्तार आर्थिक एवं वितिय सुदृढता के साथ कर चुकी है। और नये सदस्य बनाकर सदस्यों की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत है। सोसायटी का मुख्य कार्य अपने सदस्यों से जमाएं स्वीकार करना एवं उनकी आवश्यकतानुसार उनको ऋण प्रदान करना है। जो सोसायटी द्धारा सहकारिता के नियमों का पालन करते हुए किया जाता है।

सर्वोदय क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लि. का पंजीयन राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के तहत कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ सीकर द्धारा 25 जुलाई 2011 को किया गया सोसायटी का मुख्य कार्य अपने सदस्यों के मध्य ही वित्तीय लेन-देन करना है। सोसायटी द्धारा अपने सदस्य के अलावा किसी अन्य आम व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय लेन-देन नहीं किया जाता है। जिसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों तक सीमित है।

अतः सभी सदस्यगणों, अभिकर्ता गणों एवं कर्मचारी गणों से निवेदन है कि वे सोसायटी के हितों में अपनी पूर्ण ईमानदारी एवं नैतिक जिम्मेदारी से कार्य करे ताकि इस समूह को एक उन्नति पर ले जा सके।

गोवर्धन निठारवाल

(प्रबन्ध निदेशक)

सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि.

शाखा - श्रीमाधोपुर

प्रश्नावली

सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. क्या है ?

सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. एक सहकारी संस्था है जिसका पंजीयन सहकारिता नियमों के तहत राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के तहत सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्धारा किया गया है। यह एक सहकारी वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्यों के मध्य वित्तीय लेन-देन करती है।

सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. कौन से अधिनियम के नियंत्रित होती है ?

सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के तहत नियंत्रित होती है सोसायटी द्धारा इस अधिनियम की सभी धाराओं एवं नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है एवं साथ ही सहकारिता विभाग द्धारा समय-समय पर जारी नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है।

सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. अपने सदस्यों से प्राप्त जमाओं का क्या उपयोग करती है ?

सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. अपने सदस्यों से ही वित्तीय लेन-देन करती है। अतः अपने धन का उपयोग अपने सदस्यों की आवश्यकतानुसार सदस्यों को ऋण देकर करती है।

सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. में जमा राशियों की क्या सुरक्षा है ?

सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. की जमा राशियों की सुरक्षा के लिए सरकार में कानून बना रखे है। जिनकी पालना करना वैधानिक रूप से आवश्यक है। इसके अन्तर्गत किसी भी सहकारी संस्था के पास अपनी जमाओं की न्यूनतम 10 प्रतिशत शेयर पूंजी एवं फण्ड होना आवश्यक है। सरकार द्धारा इस पूंजी प्रयाप्ता मापदण्ड का सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. द्धारा पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। साथ ही सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्धारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। एवं प्रतिवर्ष लेखा निरीक्षण विभाग (सहकारिता) द्धारा ऑडिट करवाया जाता है तथा रजिस्ट्रार कार्यालय द्धारा इसे नियंत्रित किया जाता है।

सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. अपने सदस्यों की जमाओं पर अधिक ब्याज कैसे देती है ?

कई स्वाभाविक परिस्थितियॉ ऐसी है जिनके कारण सोसायटी को अतिरिक्त लाभ होता है और सोसायटी अपनी प्रतिबद्धता एवं सदस्य हितों के कारण सदस्यों की जमाओं पर अधिक ब्याज प्रदान करती है। कुछ प्रमुख कारण निम्न है :-

1. सोसायटी को अर्जित लाभ पर आयकर नहीं देना पड़ता है। आयकर अधिनियम के तहत सदस्यों को दिये गये ऋणों से अर्जित ब्याज पर सोसायटी को आयकर नहीं देना पड़ता है। सोसायटी को आयकर छुट होने के कारण कुल लाभ की 30 प्रतिशत की बचत होती है। जिससे सोसायटी के पास एक बड़ी राशि बच जाती है। जिसका उपयोग ऋण देने में किया जाता है। इससे सोसायटी की आय में वृद्धि होती है इस कारण सोसायटी अपने सदस्यों को अन्य वित्तीय संस्थाओं की तुलना में अधिक ब्याज देती है।

2. सोसायटी की तरलता अनुपात (SLR) के लिए धन राषि आरक्षित नहीं रखना होता है। बैकों को तरलता अनुपात (SLR) के लिए कुल जमाओं का 24 प्रतिषत आरक्षित धन पर उससे कम ब्याज प्राप्त होता है। इस कारण बैकों को हानि उठानी पड़ती है। बैंक अपनी गणना करते समय इस राषि का समायोजन ग्राहको को दिये जाने वाले ब्याज पर करते है। अतः उन्हें ब्याज दर कम रखने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जबकि सोसायटी को (SLR) के लिए धन आरक्षित रखने की बाध्यता नहीं है। इस कारण एक करोड़ की जमाओं में से चौबिस लाख (24 प्रतिशत) के ऋण से सोसायटी को

अतिरिक्त आय प्राप्त होती है इस आय के अनुपात में ही सोसायटी अपने सदस्यों को जमाओं पर अतिरिक्त ब्याज देती है।

3. सोसायटी को नकदी आरक्षण अनुपात (CRR) नहीं रखना होता है बैंको को (CRR) के रूप में 7 प्रतिषत राशि आरक्षित रखनी होती हे जिससे बैंक को कोई आय प्राप्त नहीं होती है और सोसायटी इस राशि को ऋण वितरण के रूप में काम में लेती है इससे सोसायटी की आय बढ़ती है।

4. सोसायटी अल्प एवं छोटे ऋणों में अपना निवेश करती है जिसमें बकाया ऋण का जोखिम नही रहता है तथा न्यूनतम किश्त राशि के कारण पूंजी का आदान प्रदान तीव्रता से चलता है। जिससे सोसायटी का आर्थिक विकाष एवं आय बढ़ती है।

5. सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. एवं बैंक में क्या अन्तर है ?

किसी भी बैंक को व्यवसाय करने के लिए भारतीय रिर्जव बैंक से बैकिंग लाइसेन्स की आवष्यकता होती है जिसके बाद वह किसी भी आय नागरिक से वितीय लेन-देन कर सकता है। लेकिन किसी भी सोसायटी को बैकिंग लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि सहकारिता विभाग द्धारा सहकारी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होती है सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी एक बैंक नहीं है एक सहकारी संस्था है जो आम नागरिक से किसी प्रकार का वित्तीय लेन-देन नहीं करती है। अर्थात बैक आम आदमी से लेन-देन कर सकता है और सोसायटी केवल अपने सदस्यों से ही लेन-देन कर सकती है।

सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. में सदस्यों को क्या लाभ है ?

1. सदस्य बनने से समिति में श्रेष्ठ ब्याज दरे प्राप्त कर सकता है समिति से बाहर अन्य बैकों में जमाओं पर ब्याज दरे समिति के बनिस्पत कम होती है। अत: समिति से जुड़कर सदस्य श्रेष्ठ ब्याज दरे प्राप्त कर सकता है।

2. समिति का सदस्य बनने पर जमाओं पर दिये जाने वाले ब्याज पर सदस्यों से TDS कटौती नहीं की जाती है।

3. समिति द्धारा सदस्य को दिये जाने वाले लांभास तथा अन्य समारोहों, भ्रमण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है।

4. सदस्य आवश्यकता होने पर सरल सुलभ ऋणों का लाभ ले सकते है जबकि इस प्रकार के ऋणों में अन्य बैकों में कई समस्याएॅ आती है।

5. सदस्यों द्धारा श्रेष्ठ जमाएं समिति को देने पर सदस्य को राज्य स्तर पर नकद पुरस्कार तथा पारितोषिक प्रदान किए जाते है।

6. 60 वर्ष व अधिक आयु के सदस्य महिला, विकलांग, सैनिक, भूत पूर्व सैनिक, समस्त बैंक एवं बीमा क्षेत्र के कर्मचारी, सार्वजनिक, सरकारी, अर्द्ध सरकारी उपक्रम के कर्मचारी, किसी भी सहकारी संस्था में कार्यरत कर्मचारी, स्थानीय निकाय के कर्मचारी, सेवानिवृत व्यक्ति, ट्रस्ट रूपये 5 लाख की एकल जमाओं पर निवेश करने वालों को विशेष ब्याज दर दी जायेगी।

''सदस्य बने कम अवधि व न्यूनतम राशि आज ही निवेश करे''

(जय सहकार)

सर्वोदय की सावधि जमा योजना (F.D)

विवरण	ब्याज दर	राशि	मेच्योरिटी राशि
तीन माह पर	7.50%	50,000	50,935
छ: माह पर	9.00%	50,000	52,275
एक वर्ष पर	11.00%	50,000	55,731
दो वर्ष पर	12.00%	50,000	63,339
तीन वर्ष पर	12.50%	50,000	72,333
पॉच वर्ष पर व अधिक पर	13.00%	50,000	94,792

सीनियर सीटीजन को 1% अतिरिक्त ब्याज दर

सर्वोदय की मासिक आय योजना (M.I.S)

विवरण	ब्याज दर	राशि	मेच्योरिटी राशि
एक वर्ष	11.00%	1,00,000	917
दो वर्ष	12.00%	1,00,000	1,000
तीन वर्ष	12.50%	1,00,000	1,042
पांच वर्ष पर व अधिक पर	13.00%	1,00,000	1,083

सीनियर सीटीजन को 1% अतिरिक्त ब्याज दर

सर्वोदय की दैनिक जमा योजना (D.D.S.)

विवरण	ब्याज दर	राशि	परिपक्वता राशि	कुल जमा
3 माह	6.00%	100 Daily	9,168	9,100
6 माह	9.00%	100 Daily	18,510	18,200
एक वर्ष	11.00%	100 Daily	38,134	36,500
18 माह	11.25%	100 Daily	58,862	54,700
24 माह	11.50%	100 Daily	81,706	73,000
36 माह	12.00%	100 Daily	1,30,922	1,09,500
48 माह	12.00%	100 Daily	1,85,948	1,46,000
60 माह	13.00%	100 Daily	2,50,086	1,82,500

सर्वोदय की मासिक जमा योजना (R.D)

विवरण	ब्याज दर	राशि	परिपक्वता राशि	कुल जमा
3 माह	6.00%	1000 Daily	3,000	3,030
6 माह	9.00%	1000 Daily	6,000	6,159
12 माह	11.00%	1000 Daily	12,000	12,740
18 माह	11.25%	1000 Daily	18,000	19,692
24 माह	11.50%	1000 Daily	24,000	27,098
36 माह	12.00%	1000 Daily	36,000	43,508
48 माह	12.00%	1000 Daily	48,000	61,835
60 माह	13.00%	1000 Daily	60,000	84,803

सीनियर सीटीजन को 1% अतिरिक्त ब्याज दर

सर्वोदय 21 योजना

विवरण	राशि	मेच्योरिटी राशि
21 माह	5,000	6,362

सर्वोदय डबल योजना

विवरण	राशि	मेच्योरिटी राशि
5 वर्ष 6 माह	10000	20,000

सर्वोदय चिल्ड्रन योजना

विवरण	राशि	मेच्योरिटी राशि
5 वर्ष	10,000	18,500
10 वर्ष	10,000	39,000
15 वर्ष	10,000	78,000
18 वर्ष	10,000	1,19,000

सर्वोदय ट्रिपल योजना

विवरण	राशि	मेच्योरिटी राशि
10 वर्ष	10,000	30,000

नोट :

1. सोसायटी की किसी भी योजना में प्रि-मैच्योरिटी भुगतान नहीं किया जाता है। प्रि-मैच्योरिटी भुगतान के लिए सोसायटी बाध्य नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में सोसायटी के संचालक मण्डल का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।
2. 60 वर्ष व अधिक आयु के सदस्य महिला, विकलांग, सैनिक, भुत पूर्व सैनिक, केन्द्रीय व राज्य सरकार के कर्मचारी , समस्त बैंक एवं बीमा क्षेत्र के कर्मचारी, सार्वजनिक, सरकारी, अर्द्ध सरकारी उपक्रम के के कर्मचारी, किसी भी सहकारी संस्था में कार्यरत कर्मचारी, स्थानीय निकाय के कर्मचारी, सेवानिवृत व्यक्ति तथा ट्रस्ट रूप्ये 5 लाख की एकल जमाओं पर निवेष करने वालों को विशेष ब्याज दर दी जायेगी।

दैनिक ऋण योजना

1. दुकानदारों के लिए 30,000 रूपये का अल्प ऋण।
2. आसान दैनिक किश्तों में भुगतान सुविधा।

प्रतिभूति ऋण योजना

1. आवास निर्माण व अन्य जरूरतों हेतु अचल सम्पत्ति पर प्रतिभूति ऋण।
2. सरल, सुविधायुक्त मासिक किश्तों में ऋण पूर्ण।

व्यावसायिक ऋण योजना

दुकानदारों पर 50,000 रूपये तक के ऋण।
12 माह की आसान किश्तों में भुगतान।

व्यक्तिगत ऋण योजना

1. सरल एवं आसान किश्तों में व्यक्तिगत ऋण 1,00,000 रूपये तक।
2. सरल ऋण प्रक्रिया तथा अविलम्ब ऋण जारी।

अभिकर्ता ऋण योजना

1. अभिकर्ता ऋण सर्वोदय अभिकर्ता जिनका मासिक कमीशन 10,000 व अधिक हो ऋण ले सकते है।
2. सरल, आसान मासिक किश्तों में भुगतान।

डेयरी ऋण योजना

1. डेयरी, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन हेतु ऋण।
2. 18 माह की आसान किश्तों में भुगतान।

अभिकर्ता प्रश्नोत्तरी

1. अभिकर्ता कौन बन सकता है ?

उत्तर कोई भी व्यस्क, जिसे विपणन कार्य का अनुभव हो और विपणन कार्य करने में सक्षम हो।

2. अभिकर्ता बनने के लिए कितनी शैखणिक योग्यता होना आवश्यक है।

उत्तर अभिकर्ता बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं पास होना आवश्यक है। जिस किसी व्यक्ति को सामान्य गणित का ज्ञान हो वह व्यक्ति भी अभिकर्ता बन सकता है।

3. अभिकर्ता बनने के लिए कहाॅ सम्पर्क करना पड़ेगा ?

उत्तर अभिकर्ता बनने के लिए निकटतम शाखा में सम्पर्क करे।

4. अभिकर्ता बनने के लिए क्या औपचारिकताएॅ पूर्ण करनी होती है ?

उत्तर अभिकर्ता बनने के लिए निम्न औपचारिकताएॅ पूर्ण करनी होती है ?

- सोसायटी द्धारा उपलब्ध करवाये गये आवेदन पत्र में आवेदन करना होता है।
- साथ ही दो व्यक्तियों से 1-1 लाख की जमानत 100/- के स्टाम्प पर करवानी होती है।
- 1000 रू सर्वोदय अभिकर्ता सुरक्षा कोष में जमा करवाना आवश्यक है।
- स्वंय एवं दोनो जमानतदारों को सदस्य बनना आवश्यक है।
- संबंधित शाखा में स्वंय का बचत खाता खुलवाना होता है।
- सदस्यता फार्म एवं बचत खाता फार्म के साथ के.वाई.सी नॉर्मस की पूर्ति करनी होती हैं।
- अभिकर्ता फार्म के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होते है।
- पासपोर्ट साईज के 3 नवीनतम रंगीन फोटो
- स्थाई निवास के प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति
- जन्म तिथि के प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति आयकर स्थाई खाता संख्या (पेन कार्ड की फोटो प्रति)
- यदि पेन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो पेन नं. हेतु आवेदन कर प्राप्त रसीद।
- जमानतियों के पहचान-पत्र

5. सोसायटी द्धारा अभिकर्ता बना लिया गया है इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी ?

उत्तर अभिकर्ता बनाने के साथ ही सोसायटी द्धारा एक एजेन्सी कोड़ आवंटित किया जाता है। यदि एजेन्सी कोड आवंटित हो जाता है तो मान लेना चाहिए की आपको अभिकर्ता की अधिकारिता प्राप्त हो गई है। बाद में आपको सोसायटी द्धारा एक अभिकर्ता परिचय-पत्र जारी किया जाता है।

6. अभिकर्ता की आय का आधार क्या होता है ?

उत्तर अभिकर्ता को व्यवसाय के आधार पर भिन्न-भिन्न योजनाओं में अलग-अलग दर से कमीशन का भुगतान किया जाता है जिसकी जानकारी समय-समय पर संबधित शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

7. कमीशन के अतिरिक्त अभिकर्ता को क्या-क्या लाभ प्राप्त होते है ?

उत्तर अभिकर्ता को व्यवसाय के आधार पर समय-समय पर जारी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है।

8. अभिकर्ता बनने के बाद आगामी केडर की अधिकारिता कैसे प्राप्त होती है ?

उत्तर व्यवसाय के आधार पर सी.आर.पी.बी. की गणना कर सोसायटी नियमानुसार अभिकर्ता को आगामी केडर की अधिकारिता प्राप्त होती है।

9. अभिकर्ता चैनल में कुल कितने केडर होते है ?

उत्तर वर्तमान में अभिकर्ता चैनल में कुल 10 केडर है।

10. टीम में अभिकर्ता अधिकृत करवाये जाने का क्या लाभ है ?

उत्तर टीम में अभिकर्ता अधिकृत करवाये जाने पर सोसायटी नियमानुसार उच्च केडर की अधिकारिता प्राप्त होती है। साथ ही अपनी टीम में अधिकृत करवाये गये अभिकर्ता द्धारा कार्य करने पर अपर लेवल का कमीशन प्राप्त होता है। जिससे अभिकर्ता की आय में वृद्धि होती है।

11. अभिकर्ता द्धारा जिस शाखा से अधिकारिता प्राप्त की गई है उसके अतिरिक्त अन्य शाखा में व्यवसाय कर सकता है ?

उत्तर उसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं में व्यवसाय कर सकता है सोसायटी की सभी शाखाएँ ऑनलाईन है जिससे अभिकर्ता किसी भी शाखा में अपना व्यवसाय कर सकता है।

12. क्या अन्य किसी भी वितीय संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति अभिकर्ता बन सकता है ?

उत्तर अन्य किसी भी वितीय संस्था में कार्यरत व्यक्ति/अभिकर्ता सोसायटी में अभिकर्ता बन सकता है परन्तु वह यदि किसी अन्य संस्था में कार्यरत है तो उस संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति नही होनी चाहिए।

13. अभिकर्ता के कर्तव्य क्या है ?

उत्तर अभिकर्ता को सदस्यों से सम्पर्क कर, उन्हे योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना एवं अनकी आवश्यकता अनुसार योजना में राशि निवेश करवाने की औपचारिकताएँ पूर्ण करवानी होती है।

- दैनिक जमा एवं आवर्ती जमा की पास बुक अभिकर्ता द्धारा शाखा प्रबन्धक से जॉच करवायी जावेगी।
- अभिकर्ता को यदि आगामी पद की अधिकारिता प्राप्त हो जाती है तो उसका मुख्य कार्य अपने अधीन टीम तैयार करना होता है।

संचालक मण्डल के निर्णानुसार 1 अप्रेल, 2015 से अभिकर्ता पदोन्नति एवं केडर निम्नानुसार निर्धारित किये गये है।

ADVISER TO ORGANIZER

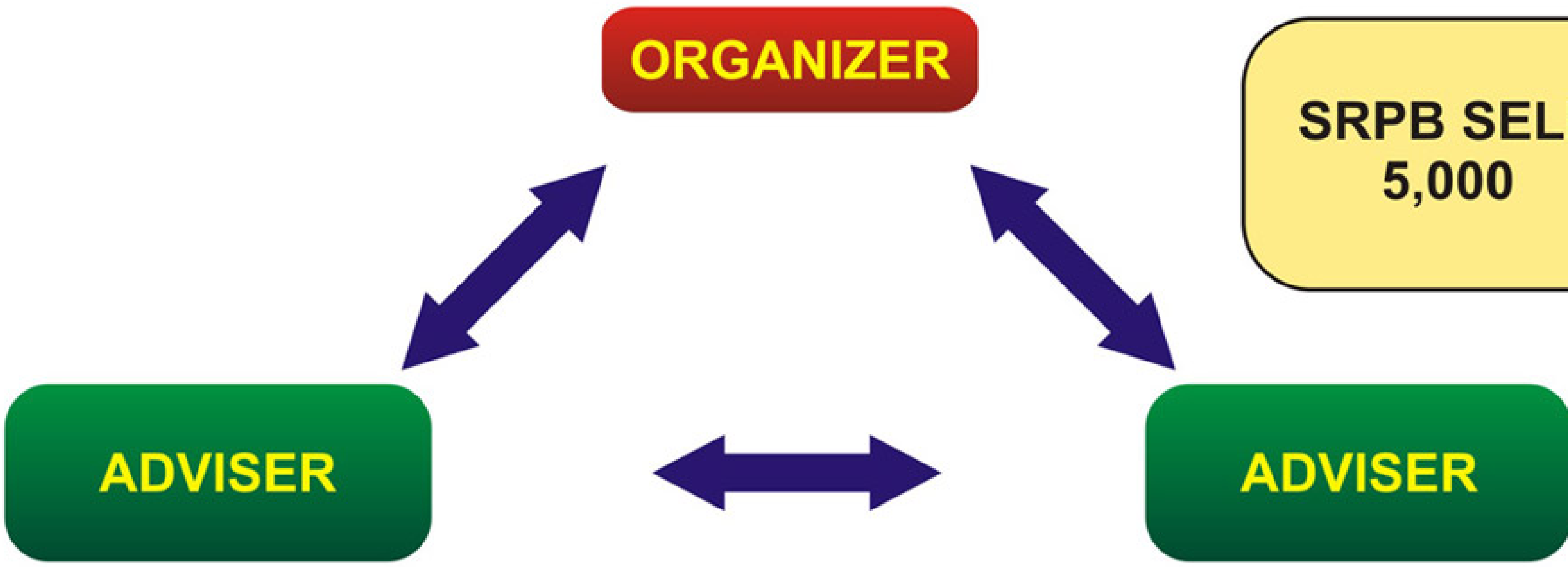

SRPB SELF 5,000

ORGANIZER TO FIELD OFFICER

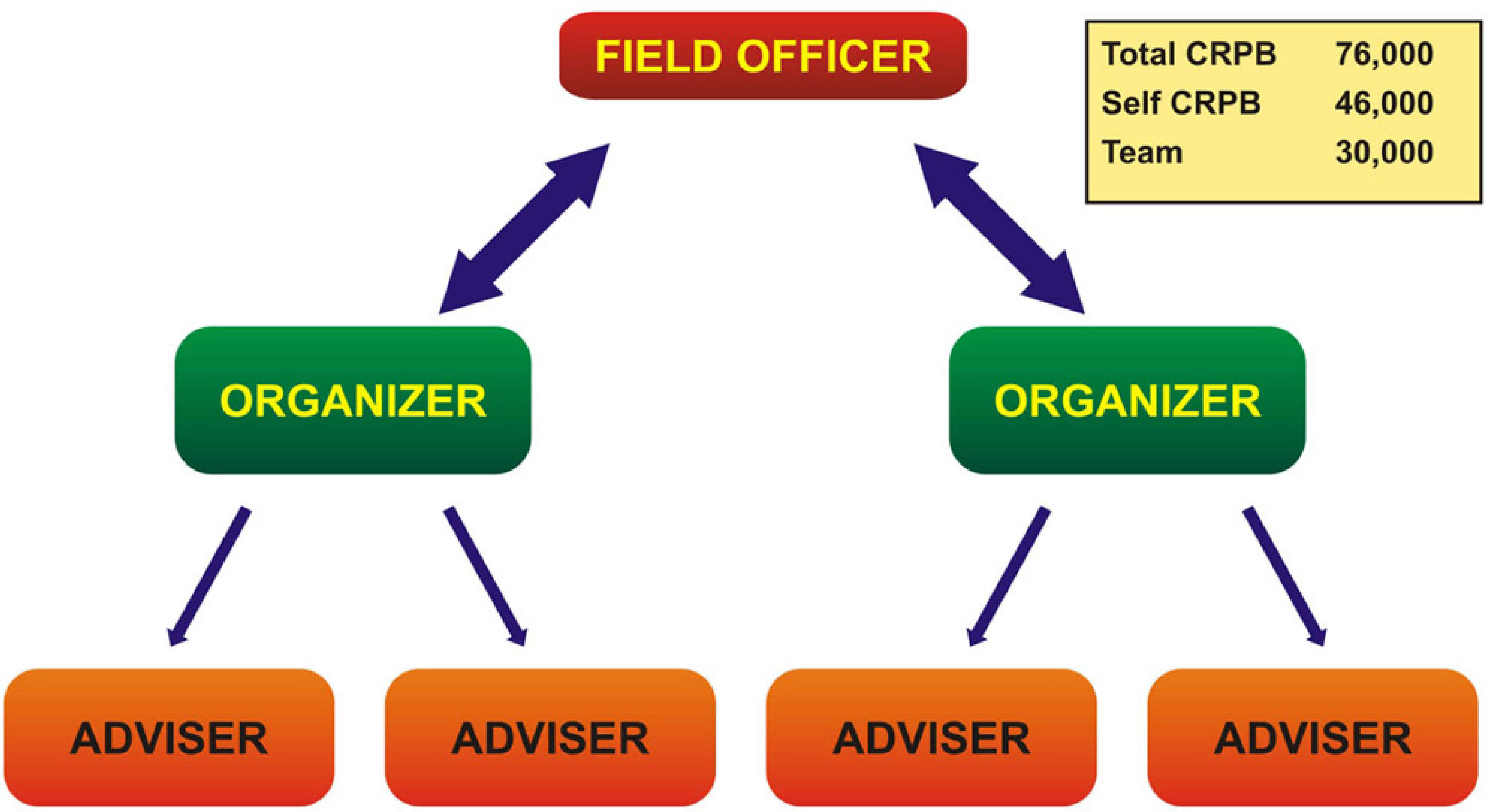

Total CRPB	76,000
Self CRPB	46,000
Team	30,000

सर्वोदय अभिकर्ता विकास फण्ड (ADF)

1. वे अभिकर्त्ता जिनका मासिक कमीशन 3000/- या इससे अधिक बनता हैं। अभिकर्त्ता विकास फण्ड का लाभ ले सकेंगे।
2. अभिकर्त्ता कमीशन से प्रतिमाह 10 प्रतिशत कटौती कर ADF में जमा किये जावेंगे।
3. सोसायटी अभिकर्त्ता से हर माह कटौती करते हुए लगातार 15 वर्ष तक अभिकर्ता को 11 प्रतिशत ब्याज देय होगा। ब्याज दर त्रैमासिक रहेगी।
4. अभिकर्त्ता को 5 वर्ष पूर्व भुगतान नहीं, 5 वर्ष बाद भुगतान लेने पर जमा राषि (केवल स्वयं की कटौती वाली राषि) व उस पर 11 प्रतिषत ब्याज दिया जावेगा।
5. अभिकर्त्ता 6 वर्ष से 20 वर्ष के मध्य अगर भुगतान प्राप्त करता है तो सोसायटी की और से देय राशि का विवरण निम्न प्रकार हैं इस क्रम में अभिकर्त्ता 20 वर्ष बाद भुगतान प्राप्त करता है तो अभिकर्ता के द्धारा ADF A/C में जितनी राशि है, उतनी राषि सोसायटी द्धारा जमा की जाएगी व उस पर 11 प्रतिशत ब्याज जोड़कर अभिकर्त्ता को भुगतान दिया जावेगा।
   फील्ड कार्यकर्ताओं की भविष्य सुरक्षा हेतु समिति द्धारा एक योजना बनाई गई है जिससे अभिकर्त्ता को समिति से प्रतिमाह कमीशन के अतिरिक्त भी प्रतिलाभ प्राप्त होता है।

सर्वोदय क्लब सदस्यता

फील्ड अभिकर्त्ताओं ने सोसायटी में कार्य करते हुए 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है एवं गत एक वर्ष से मासिक कमीशन न्युनतम रू 5000/. प्रतिमाह प्राप्त कर रहे हैं उन्हें विशेष पहचान व सम्मान देने के उछेश्य से प्रबंधन द्धारा निम्न सदस्यता योजना प्रारम्भ की गई है। (प्रभावी दिनांक 01 अप्रेल 2015)

क्र. सं.	वर्गीकरण	टीम सहित औसत C.R.P.B. (वार्षिक)	टीम में न्यूनतम सक्रिय अभिकत्ताओं की सं. (वार्षिक)
1	सिल्वर क्लब (एम.ई.)	15 लाख	13
2	गोल्ड क्लब (ए.एम.)	55 लाख	32
3	प्लैटिनम क्लब	85 लाख	45
4	सी.ई.ओ. क्लब	1.75 करोड़	90
5	चैयरमेन क्लब	2.75 करोड़	130

वर्गीकरण	विजिटिंग कार्ड भत्ता (वार्षिक)	टेलीफोन भत्ता (वार्षिक)	कार्यालय भत्ता (वार्षिक)	कार्यालय ऋण (12 % ब्याज दर पर)
सिल्वर क्लब (एम.ई)	300	1500	2500	35000
गोल्ड क्लब (ए.एम.)	400	3000	5000	50000
प्लैटिनम क्लब	500	4000	13000	150000
सी.ई.ओ. क्लब	600	5000	25000	200000
चैयरमेन क्लब	700	6000	55000	250000

1. गणना का मापदण्ड एवं पात्रता कलेण्डर वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च में जमा व्यवसाय की सी.आर.पी.बी. दक्षता के आधार पर होगा।
2. क्लब सदस्यता एक वर्ष के लिए लागू रहेगी।
3. क्लब सदस्यता का लाभ वित्तीय वर्ष समाप्ती के बाद में देय होगा।
4. किसी भी बदलाव की स्थिति में समिति प्रबन्धन का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

CADER	SELF CRPB	CRPB FROM BELOW	ACTIVE TEAM MEMBERS NEW PROMOTION ON AS								
			AGENT	ORG.	FIELF OFFICER	DEV-OFFOCER	MKT-EXE.	SR-MKT-EXE.	CHAN EXE.	SR.CHAN. EXE.	SALES INS.
AGENT	20000	0	2								
ORGANIZER	45600	30400	4	2							
FIELD OFFOCER	121000	99000	8	4	2						
DEVEL OFFICER	180000	180000	16	8	4	2					
MKT-EXU	260000	390000	32	16	8	4	2				
SR-MKT-EXU	270000	630000	64	32	16	8	4	2			
CHANNEL EXU	240000	960000	128	64	32	16	8	4	2		
SR- CHANNEL EXU	150000	1350000	256	128	64	32	16	8	4	2	
SALES INSPT.	185000	1665000	512	256	128	64	32	16	8	4	2

नियम व शर्तें :–

1. किसी भी अभिकर्ता को आर्गेनाइजर बनने के लिए अपने टीम में दो अभिकर्ता बनाने होगें।
2. अपर लेवल (अभिकर्ता से) केडर वाले अभिकर्ता को अपने नीचे लेवल में अभिकर्ता बनाने पर उसके व्यवसाय के CRPB POINT मिलेगे (टेबल के अनुसार जो अभिकर्ता को मिलता है उसी के अनुसार)
3. अभिकर्ता को प्रमोशन के लिए कम से कम दो अभिकर्ता एवं तीन महिने का जोइनिगं समय एवं 5000 स्वयं के CRPB होना अनिवार्य है। (प्रथम प्रमोशन के लिए)
4. अभिकर्ता का प्रमोशन एक वर्ष में चार बार होगा 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर व 31 मार्च को ही प्रमोशन होगा।
5. यदि कोई अभिकर्ता छ: माह में जरूरत से आधे ही अभिकर्ता जोड़ पाता है लेकिन SELF CRPB POINT जरूरत से दो गुना कर लेता है तो उसे एक प्रमोशन का लाभ दिया जायेगा ।
6. यदि कोई अभिकर्ता छ: माह में एक भी अभिकर्ता नहीं जोड़ पाता है लेकिन CRPB POINT चार गुने कर देता है तो उसे एक प्रमोशन का लाभ दिया जायेगा।
7. बिना किसी पूर्व सूचना के योजनाओं एवं ब्याज दरों में परिवर्तन का अधिकार सोसायटी प्रबंधन में निहित है।

कमीशन FD सावधि जमा योजना

S. NO	CADER	3 MON	6 MON	9 MON	1 YR	2 YR	3 YR	4 YR	5 YR	S.D	S 21	C.D	SARVODAYA TRIPLE
1	AGENT	0.250	0.310	0.500	1.500	1.880	2.300	2.640	2.850	4.000	2.500	4.000	5.000
2	ORGANIZER	0.070	0.066	0.200	0.400	0.400	0.600	0.680	0.750	1.000	0.500	1.000	1.000
3	FIELD OFFICER	0.040	0.039	0.065	0.200	0.200	0.370	0.420	0.550	0.590	0.300	0.590	0.690
4	DEVEL OFFICER	0.022	0.024	0.040	0.095	0.119	0.190	0.230	0.320	0.310	0.160	0.310	0.410
5	MKT. EXU	0.018	0.020	0.040	0.095	0.113	0.180	0.224	0.315	0.315	0.180	0.315	0.350
6	SR.MKT.EXU	0.016	0.018	0.026	0.090	0.085	0.140	0.166	0.182	0.270	0.140	0.270	0.300
7	CHANNEL EXU	0.013	0.015	0.017	0.080	0.080	0.113	0.148	0.178	0.230	0.113	0.230	0.250
8	SR.CHANNELEXU	0.009	0.010	0.013	0.060	0.070	0.062	0.114	0.145	0.163	0.062	0.163	0.200
9	SALES INSPT.	0.008	0.010	0.014	0.050	0.026	0.028	0.048	0.068	0.152	0.028	0.152	0.180
10	CHAN.DEV.MAN.	0.004	0.008	0.005	0.020	0.017	0.017	0.030	0.042	0.100	0.017	0.100	0.120
	TOTAL	0.45	0.52	0.92	2.59	3	4	4.7	5.4	7.13	4.000	7.130	8.500
	CRPB	0.75 %	1%	2%	7%	12%	17%	22%	27%	30%	30%	30%	30%

DDS दैनिक जमा योजना

S.No	CADER			12 MONTH		18 MONTH		24 MONTH		
		3 MONTH	6 MONTH	1-2 MN	3-12 MN	1-3 MN	4-18 MN	1-3 MN	4-16 MN	17-24 MN
1	AGENT	2.00	2.50	5.00	4.00	5.00	4.50	7.00	6.00	5.00
2	ORGANIZER	0.55	0.60	0.70	0.65	0.70	0.65	0.75	0.70	0.70
3	FIELD OFFICER	0.45	0.50	0.60	0.55	0.60	0.55	0.65	0.60	0.60
4	DEVEL OFFICER	0.40	0.45	0.60	0.50	0.60	0.50	0.65	0.60	0.60
5	MKT.EXU	0.30	0.30	0.20	0.17	0.20	0.17	0.23	0.19	0.20
6	SR.MKT.EXU	0.10	0.20	0.20	0.15	0.20	0.15	0.18	0.17	0.20
7	CHANNEL EXU	0.10	0.10	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.14	0.15
8	SR.CHANNEL EXU	0.05	0.05	0.08	0.07	0.08	0.07	0.10	0.09	0.08
9	SALES INSPT.	0.03	0.03	0.06	0.03	0.06	0.03	0.06	0.05	0.06
10	CHAN.DEV.MAN.	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
	TOTAL	4	4.75	7.62	6.27	7.62	6.77	9.8	8.57	7.62
	CRPB	100% FIRST INSTALLMENT (2% OF EACH INSTALLMENT)								

S.No	CADER	36 MONTH			48 MONTH			60 MONTH			
		1-6 MN	7-20 MN	21-36 MN	1-12 MN	13-12 MN	25-48 MN	1-15 MN	16-24 MN	25-48 MN	49-60 MN
1	AGENT	7.00	5.00	4.00	7.00	5.00	4.00	9.00	7.00	6.00	5.00
2	ORGANIZER	0.75	0.70	0.65	0.75	0.70	0.65	1.00	0.75	0.70	0.70
3	FIELD OFFICER	0.65	0.60	0.55	0.65	0.60	0.55	0.80	0.65	0.60	0.60
4	DEVEL OFFICER	0.65	0.60	0.50	0.65	0.60	0.50	0.40	0.65	0.60	0.60
5	MKT.EXU	0.23	0.20	0.17	0.23	0.20	0.17	0.25	0.23	0.19	0.20
6	SR.MKT.EXU	0.18	0.20	0.15	0.18	0.20	0.15	0.18	0.18	0.17	0.20
7	CHANNEL EXU	0.15	0.15	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.15	0.14	0.15
8	SR.CHANNEL EXU	0.10	0.08	0.07	0.10	0.08	0.07	0.09	0.10	0.09	0.08
9	SALES INSPT.	0.06	0.06	0.03	0.06	0.06	0.03	0.06	0.06	0.05	0.06
10	CHAN.DEV.MAN.	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
	TOTAL	9.8	7.62	6.27	9.8	7.62	6.27	11.95	9.8	8.57	7.62
	CRPB	100% FIRST INSTALLMENT (2% OF EACH INSTALLMENT)									

R.D आवर्ती जमा योजना

S.No	CADER			12 MONTH			18 MONTH			24 MONTH			
		3 MONTH	6 MONTH	1 MN	2 MN	3-12 MN	1 MN	2 MN	3-12 MN	12-18 MN	1 MN	2 MN	3-24 MN
1	AGENT	1.50	2.20	3.75	3.15	2.50	4.25	3.70	2.40	2.00	6.00	5.50	3.50
2	ORGANIZER	0.20	0.30	0.60	0.50	0.30	0.75	0.60	0.35	0.23	1.00	1.00	0.35
3	FIELD OFFICER	0.10	0.20	0.40	0.35	0.25	0.50	0.40	0.25	0.20	0.75	0.80	0.20
4	DEVEL OFFICER	0.08	0.08	0.25	0.20	0.17	0.35	0.28	0.17	0.15	0.55	0.50	0.15
5	MKT.EXU	0.07	0.07	0.14	0.13	0.08	0.15	0.12	0.08	0.07	0.25	0.25	0.09
6	SR.MKT.EXU	0.04	0.05	0.10	0.12	0.06	0.13	0.11	0.07	0.05	0.12	0.15	0.07
7	CHANNEL EXU	0.03	0.04	0.08	0.10	0.05	0.12	0.10	0.06	0.04	0.10	0.09	0.05
8	SR.CHANNEL EXU	0.02	0.03	0.07	0.09	0.04	0.10	0.08	0.05	0.03	0.09	0.07	0.04
9	SALES INSPT.	0.01	0.02	0.06	0.06	0.03	0.08	0.06	0.04	0.02	0.08	0.05	0.03
10	CHAN.DEV.MAN.	0.01	0.01	0.05	0.05	0.02	0.07	0.05	0.03	0.01	0.06	0.04	0.02
	TOTAL	2.06	3.00	5.50	4.75	3.50	6.50	5.50	3.50	2.80	9.00	8.45	4.50
	CRPB	5% F. INS	10% F.INS	20% First Installment			30% First Installment			45% First Installment			
		and 2% of each installment											

36 MONTH				48 MONTH				60 MONTH				
1 MN	2 MN	3-24 MN	24-36 MN	1 MN	2 MN	3-24 MN	24-48 MN	1-2 MN	3-6 MN	7-12 MN	13-24 MN	25-60 MN
7.00	6.00	5.00	3.50	7.70	6.50	5.10	4.00	9.00	6.30	5.70	4.70	4.00
1.10	1.00	0.50	0.35	1.20	1.00	0.30	0.35	1.00	0.80	0.50	0.40	0.25
0.70	0.80	0.40	0.20	0.80	0.80	0.21	0.20	0.80	0.50	0.40	0.30	0.20
0.50	0.50	0.30	0.15	0.60	0.50	0.20	0.15	0.53	0.40	0.30	0.20	0.15
0.25	0.25	0.11	0.09	0.25	0.23	0.10	0.09	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10
0.12	0.15	0.10	0.07	0.12	0.10	0.09	0.07	0.18	0.10	0.15	0.09	0.08
0.10	0.11	0.07	0.05	0.11	0.10	0.08	0.05	0.11	0.09	0.10	0.08	0.07
0.10	0.08	0.05	0.04	0.10	0.07	0.05	0.04	0.09	0.05	0.09	0.07	0.07
0.08	0.06	0.04	0.03	0.07	0.06	0.04	0.03	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05
0.05	0.05	0.03	0.02	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03
10.00	9.00	6.60	4.50	11.00	9.40	6.20	5.00	12.00	8.50	7.50	6.00	5.00
55 % First Installment & 2% each Installment				75% First Installment & 3% each Installment				100% First Installment 3% each Installment				

सर्वोदय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि.

Sarvodaya Credit Co-operative Society Ltd.

Central Office : 427, Alankar Plaza, Vidhayadhar Nagar, Jaipur-302023 (Rajasthan)
Ph. : 0141-2236655, 2236055 Website : www.sarvodayacredit.com
E-mail : info@sarvodayacredit.com